हुक्म या कार्यवाही नये शीर्षक से ... | हुक्म की तारीख में जारी हुए

T.I. सं. 254/15

12/7/18 आज R.O.A. अन्य पक्षों के वापस आने से जनरल ता. दे गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 21-8-18 को पेश हो

21-8-18 वकील उभय पक्ष उप०/उभय पक्षों के वकीलों ने RTA अधि० के तहत पक्षों के समझौता होना बताया। समझौता की प्रति पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 6-9-18 को पेश हो। [illegible]

6-9-18 वकील उभय पक्ष अप०/उभय पक्षों ने समझौता पेश करने हेतु अवसर चाहा। समझौता पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 7-10-18 को पेश हो। इसका लिखने पर उभय पक्ष अपने-अपने वकीलों के मार्फत न्यायालय में उपस्थित हुए तथा मूल वाद को नोटरेशन में खारिज करने हेतु निवेदन किया। पार्टी का मूल वाद नोटरेशन में खारिज हो चुका है। मूल वाद खारिज होने के कारण पार्टी का प्रार्थना-पत्र आधार लिये बगैर ही खारिज किया जाता है। उभय पक्ष के मध्य हुआ होम नम्बर के लिए तथा बाद तमामिल प्रविष्टलेख मय मूल वाद के निस्तारण हो।

[illegible]
न्यायालय
सहायक कलक्टर
सीकर

रामेश्वर
हीं. जाटोलिया
मेघराज
[illegible]
पिता मालिक
[illegible]